# मत्स्य निदेशालय
## उत्तर प्रदेश

पत्रांक 647 /नि0 शा0/2022-23 दिनांक- 30 मार्च, 2023

## कार्यालय आदेश

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश सहित शासन से पुरूष वर्ग, महिला वर्ग व अनुसूचित जाति वर्ग हेतु निम्न विवरण के अनुसार वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत की गयी हैं

1 वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासनादेश संख्या 10/2023/296/सत्रह-म-2023-17-1002(002)/ 1/2021 दिनांक 21 मार्च, 2023 के द्वारा पुरूष वर्ग हेतु अनुदान संख्या-17, लेखा शीर्षकः 2405-मछली पालन के अन्तर्गत 101-अन्तर्देशीय मछली पालन 89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश 8903- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0 एम 0 एम 0 एस 0 वाई 0) 20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैरवेतन) के अर्न्तगत राज्यांश रू0 843.149 लाख की स्वीकृति निर्गत की गयी हैं।

2 वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासनादेश संख्या 9/2023/298/सत्रह-म-2023-17-1002(099)/ 3/2021-पार्ट-1 दिनांक 21 मार्च, 2023 के द्वारा महिला वर्ग हेतु अनुदान संख्या-17, लेखा शीर्षकः 2405-मछली पालन के अन्तर्गत 101-अन्तर्देशीय मछली पालन 89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश 8904- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0 एम 0 एम 0 एस 0 वाई 0) 20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैरवेतन) के अर्न्तगत राज्यांश रू0 998.481 लाख की स्वीकृति निर्गत की गयी हैं।

3 वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासनादेश संख्या 8/2023/294/सत्रह-म-2023-17-1002(099)/4/ 2021-पार्ट-1 दिनांक 21 मार्च, 2023 के द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग हेतु अनुदान संख्या-83, लेखा शीर्षकः 2405-मछली पालन के अन्तर्गत 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश 8903- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0 एम 0 एम 0 एस 0 वाई 0) 20-सहायता अनुदान- सामान्य (गैरवेतन) के अर्न्तगत राज्यांश रू0 182.48 लाख की स्वीकृति निर्गत की गयी हैं।

4 वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासनादेश संख्या 13/2023/295/सत्रह-म-2023-17-1002(002)/1/ 2021 दिनांक 21 मार्च, 2023, के द्वारा पुरूष वर्ग हेतु अनुदान संख्या- 17, लेखा शीर्षक-2405-मछली पालन के अन्तर्गत 101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0103-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0 एम 0 एम 0 एस 0 वाई 0)- (के0 24 रा0-16 पुरूष लाभार्थी-60, के0), 20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैरवेतन) के अर्न्तगत केन्द्रांश रू0 1264.7241 लाख की स्वीकृति निर्गत की गयी हैं।

5 वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासनादेश संख्या 14/2023/298/सत्रह-म-2023-17-1002(099)/3/ 2021-पार्ट-1 दिनांक 21 मार्च, 2023 के द्वारा महिला वर्ग हेतु अनुदान संख्या- 17, लेखा शीर्षक-2405-मछली पालन के अन्तर्गत 101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0104-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0 एम 0 एम 0 एस 0 वाई 0)- (के0 36 रा0-24 महिला लाभार्थी-40, के0), 20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैरवेतन) के अर्न्तगत केन्द्रांश रू0 1497.7259 लाख की स्वीकृति निर्गत की गयी हैं।

6 वित्तीय वर्ष 2022-23 में शासनादेश संख्या 12/2023/294/सत्रह-म-2023-17- 1002(099)/4/ 2021-पार्ट-1 दिनांक 21 मार्च, 2023 के द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग हेतु अनुदान संख्या-83, लेखा शीर्षक-2405-मछली पालन के अन्तर्गत 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 01-केन्द्र

प्रायोजित योजनाएं, 0103- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0 एम 0 एम 0 एस 0 वाई 0)- (के036/रा0-24/ लाभार्थी-40, के0), 20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैरवेतन) के अन्तर्गत केन्द्रांश रू0 273.72 लाख की स्वीकृति निर्गत की गयी हैं।

उपरोक्तानुसार कुल रू0 5060.28 लाख की धनराशि का कोषागार से एकमुश्त आहरण करते हुए प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के लिए सिंगल नोडल एजेन्सी (एस 0 एन 0 ए 0) के पी0 एफ 0 एम 0 एस 0 हेतु बचत खाता संख्या- 98160100007290 (आई 0 एफ 0 एस 0 सी0 कोड-**BARB0EXTLUC**), बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा- यूनीवर्सिटी रोड, बादशाह बाग, लखनऊ में अंतरण किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

कार्यालय आदेश संख्याः 399/नि0 शा0/2022-23 दिनांकः 20.02.2023 द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के लिए एस 0 एन 0 ए 0 के पी0 एफ 0 एम 0 एस 0 हेतु बचत खाते में रू0 5186.6174 लाख की अंतरित की गयी धनराशि में से रू0 5185.6795 लाख की धनराशि लिमिट फिक्स की गयी थी तथा रू0 0.9379 लाख की लिमिट फिक्स किया जाना शेष है। इसके अतिरिक्त कार्यालय आदेश संख्याः 527/नि0 शा0/2022-23 दिनांकः 16.03.2023 द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के लिए एस 0 एन 0 ए 0 के पी0 एफ 0 एम 0 एस 0 हेतु बचत खाते में रू0 4350.8456 लाख की अंतरित की गयी धनराशि में से रू0 4350.0802 लाख की धनराशि लिमिट फिक्स की गयी थी तथा रू0 0.7654 लाख की लिमिट भी फिक्स किया जाना शेष है।

इस प्रकार प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत कुल (रू0 5060.28 लाख + रू0 0.9379 लाख रू0 0.7654 लाख) = रू0 5061.9833 लाख की धनराशि लिमिट संलग्न विवरण के अनुसार फिक्स की जाती है। इस संबंध में पूर्व निर्गत आवंटन आदेश संख्याः 399/नि0 शा0/2022-23 दिनांकः 20.02.2023 तथा आदेश संख्याः 527/नि0 शा0/2022-23 दिनांकः 16.03.2023 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(एन 0 एस 0 रहमानी)
संयुक्त निदेशक मत्स्य,
निदेशक मत्स्य, उ 0 प्र 0, लखनऊ।

पत्रांकः 647 /नि0 शा0/2022-23 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त उप निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, म 0 पा0 वि0 अ 0, उत्तर प्रदेश।
3. वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय, उ 0 प्र 0, लखनऊ।
4. उप निदेशक मत्स्य (नियोजन/मुख्यालय)।
5. संयुक्त निदेशक मत्स्य, मत्स्य निदेशालय, उ 0 प्र 0, लखनऊ।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

(एन 0 एस 0 रहमानी)

File No.DOF-PLAN01/9/2023-COM

Signed by N S Rehmani
Date: 30-03-2023 16:36:30
Reason: Approved

संयुक्त निदेशक मत्स्य,
निदेशक मत्स्य,उ0प्र0,लखनऊ।

## वित्तीय वर्ष 2022–23 में PMMSY योजना के अर्न्तगत विगत वर्षों 2020–21 व 2021–22 एवं 2022.23 के सापेक्ष SNA में अंतरित धनराशि की निर्धारित limit का पुनर्निर्धारण

| क0 | जनपद | वर्तमान SNA limit | Additional SNA limit | नवीन SNA limit (3+4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kaushambi | 2914320.00 | 2500000.00 | ₹5,414,320.00 |
| 2 | Prayagraj | 9835600.00 | 5000000.00 | 14,835,600.00 |
| 3 | Pratapgarh | 3542800.00 | 2000000.00 | 5,542,800.00 |
| 4 | Fatehpur | 6857480.00 | 1000000.00 | 7,857,480.00 |
| 5 | Varanasi | 5184000.00 | 12500000.00 | 17,684,000.00 |
| 6 | Gajipur | 8645080.00 | 10000000.00 | 18,645,080.00 |
| 7 | Chandauli | 11594030.00 | 5000000.00 | 16,594,030.00 |
| 8 | JaunPur | 7587380.00 | 6000000.00 | 13,587,380.00 |
| 9 | Azamgarh | 8974750.00 | 12500000.00 | 21,474,750.00 |
| 10 | Mau | 63076030.00 | 25000000.00 | 88,076,030.00 |
| 11 | Ballia | 3400000.00 | 2000000.00 | 5,400,000.00 |
| 12 | Meerut | 15950020.00 | 2000000.00 | 17,950,020.00 |
| 13 | Gaziabad | 8976200.00 | 1000000.00 | 9,976,200.00 |
| 14 | Bulandsahar | 44832800.00 | 0.00 | 44,832,800.00 |
| 15 | Hapur | 6699960.00 | 0.00 | 6,699,960.00 |
| 16 | Bagpat | 3448880.00 | 4000000.00 | 7,448,880.00 |
| 17 | G B Nagar | 80000.00 | 0.00 | 80,000.00 |
| 18 | Moradabad | 6618540.00 | 5000000.00 | 11,618,540.00 |
| 19 | Amroha | 4890000.00 | 2000000.00 | 6,890,000.00 |
| 20 | Rampur | 6249120.00 | 0.00 | 6,249,120.00 |
| 21 | Sambhal | 2830800.00 | 1000000.00 | 3,830,800.00 |
| 22 | Bijnor | 7828000.00 | 3000000.00 | 10,828,000.00 |
| 23 | Mujaffarnagar | 1248830.00 | 1000000.00 | 2,248,830.00 |
| 24 | Shamli | 3456000.00 | 0.00 | 3,456,000.00 |
| 25 | Saharanpur | 7792460.00 | 2000000.00 | 9,792,460.00 |
| 26 | Basti | 12305520.00 | 4000000.00 | 16,305,520.00 |
| 27 | Sant Kabir Nagar | 9112400.00 | 5000000.00 | 14,112,400.00 |
| 28 | Siddhartha Nagar | 15672360.00 | 25000000.00 | 40,672,360.00 |
| 29 | Bareily | 15358070.00 | 0.00 | 15,358,070.00 |
| 30 | Pilibhit | 3277140.00 | 1000000.00 | 4,277,140.00 |
| 31 | Shahjahanpur | 1829260.00 | 698330.00 | 2,527,590.00 |
| 32 | Badaun | 2835170.00 | 1000000.00 | 3,835,170.00 |
| 33 | Mirzapur | 59865600.00 | 10000000.00 | 69,865,600.00 |
| 34 | Sonbhadra | 19786000.00 | 18500000.00 | 38,286,000.00 |
| 35 | Bhadohi | 9502970.00 | 4000000.00 | 13,502,970.00 |
| 36 | Lucknow | 11085100.00 | 1000000.00 | 12,085,100.00 |
| 37 | Lakhimpur Kheeri | 6781980.00 | 0.00 | 6,781,980.00 |
| 38 | Hardoi | 11589700.00 | 1000000.00 | 12,589,700.00 |
| 39 | Raebareli | 11936860.00 | 8000000.00 | 19,936,860.00 |

| क0 | जनपद | वर्तमान SNA limit | Additional SNA limit | नवीन SNA limit (3+4) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 40 | Sitapur | 8539200.00 | 3000000.00 | 11,539,200.00 |
| 41 | Unnao | 14004920.00 | 5000000.00 | 19,004,920.00 |
| 42 | Agra | 20021250.00 | 0.00 | 20,021,250.00 |
| 43 | Firozabad | 7294090.00 | 3000000.00 | 10,294,090.00 |
| 44 | Mainpuri | 3357640.00 | 3000000.00 | 6,357,640.00 |
| 45 | Mathura | 13984330.00 | 40000000.00 | 53,984,330.00 |
| 46 | Hathras | 11002910.00 | 0.00 | 11,002,910.00 |
| 47 | Kasganj | 5186000.00 | 2500000.00 | 7,686,000.00 |
| 48 | Aligarh | 9807000.00 | 6000000.00 | 15,807,000.00 |
| 49 | Etah | 5165300.00 | 3000000.00 | 8,165,300.00 |
| 50 | Jhansi | 6271330.00 | 2000000.00 | 8,271,330.00 |
| 51 | Jalaun | 5226060.00 | 3000000.00 | 8,226,060.00 |
| 52 | Lalitpur | 14205400.00 | 8000000.00 | 22,205,400.00 |
| 53 | Chitrakoot | 3650000.00 | 0.00 | 3,650,000.00 |
| 54 | Banda | 5588000.00 | 7500000.00 | 13,088,000.00 |
| 55 | Mahoba | 2348000.00 | 4000000.00 | 6,348,000.00 |
| 56 | Hamirpur | 4004120.00 | 6000000.00 | 10,004,120.00 |
| 57 | Kannauj | 3887360.00 | 4000000.00 | 7,887,360.00 |
| 58 | Etawah | 3076200.00 | 3000000.00 | 6,076,200.00 |
| 59 | Kanpur Dehat | 5524560.00 | 3000000.00 | 8,524,560.00 |
| 60 | Farrukhabad | 4745950.00 | 0.00 | 4,745,950.00 |
| 61 | Auraiya | 4530200.00 | 4000000.00 | 8,530,200.00 |
| 62 | Kanpur Nagar | 6953500.00 | 1000000.00 | 7,953,500.00 |
| 63 | Gorakhpur | 30132840.00 | 60000000.00 | 90,132,840.00 |
| 64 | Deoria | 52446620.00 | 0.00 | 52,446,620.00 |
| 65 | Maharajganj | 46339200.00 | 3000000.00 | 49,339,200.00 |
| 66 | Kushinagar | 57131830.00 | 30000000.00 | 87,131,830.00 |
| 67 | Ayodhya | 6656800.00 | 7000000.00 | 13,656,800.00 |
| 68 | Ambedkarnagar | 20231170.00 | 12000000.00 | 32,231,170.00 |
| 69 | Sultanpur | 3577910.00 | 5000000.00 | 8,577,910.00 |
| 70 | Amethi | 7685980.00 | 2000000.00 | 9,685,980.00 |
| 71 | Barabanki | 43616690.00 | 15000000.00 | 58,616,690.00 |
| 72 | Gonda | 23289410.00 | 39000000.00 | 62,289,410.00 |
| 73 | Bahraich | 18121280.00 | 32500000.00 | 50,621,280.00 |
| 74 | Balrampur | 26720430.00 | 0.00 | 26,720,430.00 |
| 75 | Shravasti | 5801280.00 | 6000000.00 | 11,801,280.00 |
| | कुल योग | 953575970.00 | 506198330.00 | 1,459,774,300.00 |

Ad30

संख्या: 12 / 2023/293 / सत्रह-म-2023-17-1002(099)/ 4/ 2021

प्रेषक,

प्रशान्त शर्मा

विशेष सचिव

मत्स्य विभाग

उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक मत्स्य

उ0प्र0 लखनऊ

दिनांक:21 मार्च 2023

विषय: प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुदान संख्या-83, में प्रावधानित धनराशि रू0 1800.00 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2021-22 तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष (रू0 120.50 लाख + रू0 153.22 लाख)= रू0 273.72 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, उसे एकमुश्त आहरित कर एस0एन0ए0 खाते में अन्तरित करने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 130/ नि0शा0/ PMMSY-SNA/ 2022-23 दिनांक 11 मार्च, 2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुदान संख्या-83, में प्रावधानित धनराशि रू0 1800.00 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2021-22 तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष (रू0 120.50 लाख + रू0 153.22 लाख)= रू0 273.72 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, उसे एकमुश्त आहरित कर एस0एन0ए0 खाते में अन्तरित किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक- F.No- 1(13)/PFMS/FCD/2020 दिनांक 15 जून, 2022 द्वारा केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च, 2022 तक निर्गत केन्द्रांश एवं संगत राज्यांश की सम्पूर्ण अप्रयुक्त धनराशि को सिंगल नोडल एजेन्सी (एस0एन0ए0) खाते में हस्तान्तरित कर, प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

3 - अत: इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-83, लेखा शीर्षक-2405-मछली पालन के अन्तर्गत 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं , 0103-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के0 36/ रा0-24- लाभार्थी-40, के0), 20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैरवेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 1800.00 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

2021-22 तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष (रू0 120.50 लाख + रू0 153.22 लाख)= रू0 273.72 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए, उक्त धनराशि को एकमुश्त आहरित कर बैंक आफ बडौदा में बचत बैंक खाता संख्या- 98160100007290 (आई0एफ0एस0सी0 कोड- BARB0EXTLUC) के अन्तर्गत संचालित एस0एन0ए0 (सिंगल नोडल एजेन्सी) खाते में अन्तरित किये जाने की अनुमति श्री राज्यपाल अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य-योजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

(2) भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगें तथा अवमुक्त धनराशि की सीमान्तर्गत उन्ही परियोजनाओं में व्यय करना सुनिश्चित करेंगे, जो भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।

(3) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही वर्षों और उन्ही स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष किया जायेगा, जिस वर्ष व परियोजना के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त व स्वीकृत की गयी थी।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय / उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) ऑकडो की शुद्वता का दायित्व निदेशक मत्स्य/ सम्बन्धित अधिकारी का होगा।

(8) भारत सरकार के पत्रांक जे -018001/ 1/ 2017-एफवाई, दिनांक 23.04.2021 के प्रस्तर-3 (II) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/ डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करने, धनराशि का व्यय करने व उपभोग प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित कराये जाने के दिये गये निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

(9) धनराशि का आवंटन/ एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(10) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय वित्त( आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

4- इस सम्बंध में होने वाला व्यय रू0 273.72 लाख (रू0 दो करोड तिहत्तर लाख बहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83, लेखा शीर्षक-2405-मछली पालन के अन्तर्गत 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं , 0103-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के0 36/ रा0-24- लाभार्थी-40, के0), 20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैरवेतन) के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कम्प्यूटर/ अशासकीय संख्या- E-1-553-X-2022-23-दिनांक:21-3-2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(प्रशान्त शर्मा)
विशेष सचिव।

**संख्या- 12 / 2023 / 293 (1) / सत्रह-म-2023 तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।
4. संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक मत्स्य(नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6. सम्बधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. बजट (प्रकोष्ठ) समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 / नियोजन अनुभाग-3।
9. गार्ड फाइल।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या: 8/2023 / 294 / सत्रह-म-2023-17-1002(099)/4/ 2021-पार्ट-1

प्रेषक,

राजवीर सिंह

अनु सचिव

मत्स्य विभाग

उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,

उ0प्र0 लखनऊ।

दिनांक: 21 मार्च 2023

विषय: प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुदान संख्या-83, में प्रावधानित धनराशि रू0 1200.00 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2021-22 तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष (रू0 120.50 लाख + रू0 153.22 लाख)= रू0 273.72 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश (रू0 80.333 लाख + रू0 102.147 लाख)= रू0 182.48 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-131 / नि0शा0/ PMMSY-SNA/ 2022-23 दिनांक 11 मार्च, 2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुदान संख्या-83, में प्रावधानित धनराशि रू0 1200.00 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2021-22 तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष (रू0 120.50 लाख + रू0 153.22 लाख)= रू0 273.72 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश (रू0 80.333 लाख + रू0 102.147 लाख)= रू0 182.48 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए, उक्त धनराशि को एस0एन0ए0 खाते में अन्तरित किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक- F.No- 1(13)/PFMS/FCD/2020 दिनांक 15 जून, 2022 द्वारा केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च, 2022 तक निर्गत केन्द्रांश एवं संगत राज्यांश की सम्पूर्ण अप्रयुक्त धनराशि को सिंगल नोडल एजेन्सी (एस0एन0ए0) खाते में हस्तान्तरित कर, प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

3- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग हेतु अनुदान संख्या-83, लेखा शीर्षक-2405-मछली पालन के अन्तर्गत 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 89- केन्द्र प्रोयोजित योजनाओं का संगत राज्यांश, 8903- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैरवेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 1200.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

4- अतः इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-83, लेखा शीर्षक-2405-मछली पालन के अन्तर्गत 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 89- केन्द्र प्रोयोजित योजनाओं का संगत राज्यांश, 8903- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैरवेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 1200.00 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2021-22 तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष (रू0 120.50 लाख + रू0 153.22 लाख)= रू0 273.72 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश (रू0 80.333 लाख + रू0 102.147 लाख)= रू0 182.48 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए, उक्त धनराशि को एस0एन0ए0 खाते में अन्तरित किये जाने की अनुमति श्री राज्यपाल अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य-योजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

(2) भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगें तथा अवमुक्त धनराशि की सीमान्तर्गत उन्ही परियोजनाओं में व्यय करना सुनिश्चित करेंगे, जो भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।

(3) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही वर्षो और उन्ही स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष किया जायेगा, जिस वर्ष व परियोजना के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त व स्वीकृत की गयी थी।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय / उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) ऑकडो की शुद्वता का दायित्व निदेशक मत्स्य/ सम्बन्धित अधिकारी का होगा।

(8) भारत सरकार के पत्रांक जे -018001/1/ 2017-एफवाई, दिनांक 23.04.2021 के प्रस्तर-3 (II) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/ डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करने, धनराशि का व्यय करने व उपभोग प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित कराये जाने के दिये गये निर्देशों व अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

(9) धनराशि का आवंटन/ एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(10) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय वित्त( आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

**5-** इस सम्बंध में होने वाला व्यय रू0 471.0627 लाख (रू0 चार करोड इकहत्तर लाख छः हजार दो सौ सत्तर मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन, 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश 8903- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी0एम0एम0एस0 वाई0) के मानक मद 20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन) के नामें डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग वित्त विभाग के कम्प्यूटर/ अशासकीय संख्या- **E-1-525-X-2022-23- दिनांक:19-3-2023** में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(राजवीर सिंह)
अनु सचिव।

**संख्या- 8 / 2023/294 (1) / सत्रह-म-2023 तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।
4. संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक मत्स्य(नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6. सम्बधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन।
8. वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 / नियोजन अनुभाग-3।
9. गार्ड फाइल।

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या: 9/ 2023 / 298/ सत्रह-म-2023 -17-1002(099)/3/ 2021 पार्ट-1

प्रेषक,

राजवीर सिंह

अनु सचिव

मत्स्य विभाग

उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक मत्स्य

उत्तर प्रदेश लखनऊ

दिनांक 21मार्च 2023

विषय: प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुदान संख्या-17, में महिला वर्ग हेतु प्रावधानित धनराशि रू0 4000.00 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2020-21,वित्तीय वर्ष 2021-22 तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश (रू0 20.99 लाख +रू0 266.434 लाख +रू0 711.057 लाख)= रू0 998.481 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 135/ नि0शा0/PMMSY-SNA/2022-23 दिनांक 11 मार्च, 2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुदान संख्या-17, में महिला वर्ग हेतु प्रावधानित धनराशि रू0 4000.00 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2020-21, वित्तीय वर्ष 2021-22 तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश (रू0 20.99 लाख +रू0 266.434 लाख +रू0 711.057 लाख)= रू0 998.481 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए, उक्त धनराशि को एस0एन0ए0 खाते में धनरशि अन्तरित किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक- F.No- 1(13)/ PFMS / FCD /2020 दिनांक 15 जून, 2022 द्वारा केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च, 2022 तक निर्गत केन्द्रांश एवं संगत राज्यांश की सम्पूर्ण अप्रयुक्त धनराशि को सिंगल नोडल एजेन्सी (एस0एन0ए0) खाते में हस्तान्तरित कर, प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

3- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत महिला वर्ग हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-17, लेखा शीर्षक 2405-मछली पालन के अन्तर्गत 101-अन्तर्देशीय मछली पालन, 89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश 8904 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0), 20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैरवेतन) में रू0 4000.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

4- अत: इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत महिला वर्ग हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-17, लेखा शीर्षक 2405-मछली पालन के अन्तर्गत 101-अन्तर्देशीय मछली पालन, 89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश 8904 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0), 20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैरवेतन) में प्रावधानित धनराशि

http://shasnadesh.up.nic.com

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रू0 4000.00 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश (रू0 20.99 लाख +रू0 266.434 लाख +रू0 711.057 लाख)= रू0 998.481 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए उक्त धनराशि को एकमुश्त आहरित कर बैंक आफ बडौदा में बचत बैंक खाता संख्या-98160100007290 (आई0एफ0एस0सी0 कोड- BARB0EXTLUC) के अन्तर्गत संचालित एस0एन0ए0 (सिंगल नोडल एजेन्सी) खाते में अन्तरित किये जाने की अनुमति श्री राज्यपाल अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य-योजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

(2) भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगें तथा अवमुक्त धनराशि की सीमान्तर्गत उन्ही परियोजनाओं में व्यय करना सुनिश्चित करेंगे, जो भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।

(3) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही वर्षों और उन्ही स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष किया जायेगा, जिस वर्ष व परियोजना के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त व स्वीकृत की गयी थी।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय / उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) ऑकडो की शुद्वता का दायित्व निदेशक मत्स्य/ सम्बन्धित अधिकारी का होगा।

(8) भारत सरकार के पत्रांक जे -018001/ 1/ 2017-एफवाई, दिनांक 23.04.2021 के प्रस्तर-3 (II) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/ डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करने, धनराशि का व्यय करने व उपभोग प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित कराये जाने के दिये गये निर्देशों व अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

(9) धनराशि का आवंटन/ एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(10) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय

http://shasanadesh.up.nic.com

करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय वित्त( आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून,2022 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

5- इस सम्बंध में होने वाला व्यय रू0 2170.5469 लाख (रूपये इक्कीस करोड सत्तर लाख चौवन हजार छह सौ नब्बे मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-17 लेखा शीर्षक 2405-मछली पालन के अन्तर्गत 101-अन्तर्देशीय मछली पालन, 89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश 8904- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0), 20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैरवेतन) के नामें डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग वित्त विभाग के कम्प्यूटर/ अशासकीय संख्या- **E-1-538-X-2022-23-दिनांक:19-3-2023** में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(राजवीर सिंह)
अनु सचिव।

**संख्या- 9/ 2023 / 298 (1) / सत्रह-म-2023 तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।
4. संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक मत्स्य( नियोजन), मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6. सम्बधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 / नियोजन अनुभाग-3।
8. गार्ड फाइल।

http://shasanadesh.up.nic.com

संख्या: 14 / 2023 /297/ सत्रह-म-2023 -17-1002(099)/2/ 2022

प्रेषक,

राजवीर सिंह
अनु सचिव
मत्स्य विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक मत्स्य
उत्तर प्रदेश लखनऊ

दिनांक: 21 मार्च 2023

विषय: प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुदान संख्या-17, में महिला वर्ग हेतु प्रावधानित धनराशि रू0 6000.00 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2020-21, वित्तीय वर्ष 2021-22 तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष (रू0 31.49 लाख +रू0 399.65 लाख +रू0 1066.5859 लाख)= रू0 1497.7259 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 134/ नि0शा0/पी0एम0एम0एस0वाई0- एस0एन0ए0/ 2022-23 दिनांक 11 मार्च 2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुदान संख्या-17, में महिला वर्ग हेतु प्रावधानित धनराशि रू0 6000.00 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2020-21, वित्तीय वर्ष 2021-22 तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष (रू0 31.49 लाख +रू0 399.65 लाख +रू0 1066.5859 लाख)= रू0 1497.7259 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए, उक्त धनराशि को एस0एन0ए0 खाते में धनरशि अन्तरित किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक- F.No- 1(13)/PFMS/FCD/2020 दिनांक 15 जून, 2022 द्वारा केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च, 2022 तक निर्गत केन्द्रांश एवं संगत राज्यांश की सम्पूर्ण अप्रयुक्त धनराशि को सिंगल नोडल एजेन्सी (एस0एन0ए0) खाते में हस्तान्तरित कर, प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

3- अत: इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत महिला वर्ग हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-17, लेखा शीर्षक 2405-मछली पालन के अन्तर्गत 101-अन्तर्देशीय मछली पालन, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0104- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)-(के0 36/ रा0 24-महिला लाभार्थी-40,के036+रा024), 20-सहायता

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुदान -सामान्य (गैरवेतन) में प्रावधानित बजट धनराशि रू0 6000.00 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2020-21, वित्तीय वर्ष 2021-22 तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष (रू0 31.49 लाख +रू0 399.65 लाख +रू0 1066.5859 लाख)= रू0 1497.7259 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए उक्त धनराशि को एकमुश्त आहरित कर बैंक आफ बडौदा में बचत बैंक खाता संख्या- 98160100007334 (आई0एफ0एस0सी0 कोड- BAR BOEXTLUC) के अन्तर्गत संचालित एस0एन0ए0 (सिंगल नोडल एजेन्सी) खाते में अन्तरित किये जाने की अनुमति श्री राज्यपाल अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य-योजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

(2) भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करेगें तथा अवमुक्त धनराशि की सीमान्तर्गत उन्ही परियोजनाओं में व्यय करना सुनिश्चित करेंगे, जो भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।

(3) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही वर्षों और उन्ही स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष किया जायेगा, जिस वर्ष व परियोजना के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त व स्वीकृत की गयी थी।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय / उपयोग चालू वित्त्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) ऑकडो की शुद्वता का दायित्व निदेशक मत्स्य/ सम्बन्धित अधिकारी का होगा।

(8) भारत सरकार के पत्रांक जे -018001/ 1/ 2017-एफवाई, दिनांक 23.04.2021 के प्रस्तर-3 (II) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/ डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करने, धनराशि का व्यय करने व उपभोग प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित कराये जाने के दिये गये निर्देशों व अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

(9) धनराशि का आवंटन/ एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(10) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(11)स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय वित्त( आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

4- इस सम्बंध में होने वाला व्यय रू0 1497.7259 लाख (रूपये चौदह करोड सत्तानबे लाख बहात्तर हजार पांच सौ नब्बे मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-17 लेखा शीर्षक 2405-मछली पालन के अन्तर्गत 101-अन्तर्देशीय मछली पालन, 01- केन्द्र प्रायोजित योजनायें, 0104- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0), (के॰ 36 रा0 -24 महिला लाभार्थी -40, के0) 20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैरवेतन) के नामें डाला जायेगा।

**4- यह आदेश वित्त विभाग वित्त विभाग के कम्प्यूटर/ अशासकीय संख्या- E-1-530-X-2022-23- दिनांक:19-3-2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।**

भवदीय

(राजवीर सिंह)

अनु सचिव

संख्या- 14/ 2023 /297 (1) / सत्रह-म-2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।
4. संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक मत्स्य( नियोजन), मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6. सम्बधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 / नियोजन अनुभाग-3।
8. गार्ड फाइल।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्याः 10 /2023/ 296 / सत्रह-म-2023-17-1002(002)/1/2021

प्रेषक,

राजवीर सिंह

अनु सचिव

मत्स्य विभाग

उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक मत्स्य

उ0प्र0 लखनऊ

दिनांकः 21 मार्च 2023

विषयः प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुदान संख्या-17, में पुरूष वर्ग हेतु प्रावधानित धनराशि रू0 5764.39 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2020-21, वित्तीय वर्ष 2021-22 तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश (रू0 16.38 लाख + रू0 301.233 लाख + रू0 525.536 लाख)= रू0 843.149 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-133 / नि0शा0/PMMSY-SNA/ 2022-23 दिनांक 11 मार्च, 2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुदान संख्या-17, में पुरूष वर्ग हेतु प्रावधानित धनराशि रू0 5764.39 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2020-21, वित्तीय वर्ष 2021-22 तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश (रू0 16.38 लाख + रू0 301.233 लाख + रू0 525.536 लाख)= रू0 843.149 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए, उक्त धनराशि को एस0एन0ए0 खाते में अन्तरित किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक- F.No- 1(13)/PFMS/FCD/2020 दिनांक 15 जून, 2022 द्वारा केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च, 2022 तक निर्गत केन्द्रांश एवं संगत राज्यांश की सम्पूर्ण अप्रयुक्त धनराशि को सिंगल नोडल एजेन्सी (एस0एन0ए0) खाते में हस्तान्तरित कर, प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

3- प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत पुरूष वर्ग हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-17, लेखा शीर्षक 2405-मछली पालन के अन्तर्गत 101-अन्तर्देशीय मछली पालन, 8903-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0) 20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैरवेतन) में रू0 5764.39 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

4- अतः इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुरूष वर्ग के लिए अनुदान संख्या-17 लेखा शीर्षकः 2405-मछली पालन के अन्तर्गत 101-अन्तर्देशीय मछली पालन, 89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश, 8903-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0), 20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैरवेतन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु प्रावधानित धनराशि रू0 5764.39 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2020-21, वित्तीय वर्ष 2021-22 तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत सरकार द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश (रू0 16.38 लाख + रू0 301.233 लाख + रू0 525.536 लाख)= रू0 843.149 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए, उक्त धनराशि को एस0एन0ए0 खाते में अन्तरित किये जाने की अनुमति श्री राज्यपाल अधोलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य-योजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

(2) भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगें तथा अवमुक्त धनराशि की सीमान्तर्गत उन्ही परियोजनाओं में व्यय करना सुनिश्चित करेंगे, जो भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।

(3) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य  मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही वर्षो और उन्ही स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष किया जायेगा, जिस वर्ष व परियोजना के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त व स्वीकृत की गयी थी।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय / उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) ऑकडो की शुद्वता का दायित्व निदेशक मत्स्य/ सम्बन्धित अधिकारी का होगा।

(8) भारत सरकार  के पत्रांक जे -018001/1/ 2017-एफवाई, दिनांक 23.04.2021 के प्रस्तर-3 (II) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/ डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करने, धनराशि का व्यय करने व उपभोग प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित कराये जाने के दिये गये निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

(9) धनराशि का आवंटन/ एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(10) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय वित्त( आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

5- इस सम्बंध में होने वाला व्यय रू0 843.149 लाख (रू0 आठ करोड तिरालिस लाख चौदह हजार नौ सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-17 लेखा शीर्षकः 2405-मछली पालन के अन्तर्गत 101-अन्तर्देशीय मछली पालन, 89- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश, 8903-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0), 20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैरवेतन) के नामें डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग वित्त विभाग के कम्प्यूटर/ अशासकीय संख्या- **E-1-540-X-2022-23-दिनांक:19-3-2023** में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(राजवीर सिंह)
अनु सचिव।

**संख्या- 10 /2023/296 (1) /सत्रह-म-2023 तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।
4. संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक मत्स्य(नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6. सम्बधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 / नियोजन अनुभाग-3।
8. गार्ड फाइल।

http://shasnadesh.up.nic.in

संख्या: 13 / 2023 / 295 / सत्रह-म-2023-17-1002(002)/ 3/ 2022

प्रेषक,

राजवीर सिंह

अनु सचिव

मत्स्य विभाग

उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,

उत्तर प्रदेश लखनऊ

दिनांक 21 मार्च 2023

विषय: प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुदान संख्या-17, में पुरूष वर्ग हेतु प्रावधानित धनराशि रू0 8646.58 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2020-21, वित्तीय वर्ष 2021-22 तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष (रू0 24.57 लाख +रू0 451.85 लाख +रू0 788.3041 लाख)= रू0 1264.7241 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, उसे एकमुश्त आहरित कर एस0एन0ए0 खाते में अन्तरित करने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-132/ नि0शा0/ पी0एम0एम0एस0वाई0/ 2022 -23 दिनांक 11 मार्च, 2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनुदान संख्या-17, में पुरूष वर्ग हेतु प्रावधानित धनराशि रू0 8646.58 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2020-21, वित्तीय वर्ष 2021-22 तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष (रू0 24.57 लाख +रू0 451.85 लाख +रू0 788.3041 लाख)= रू0 1264.7241 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, उसे एकमुश्त आहरित कर एस0एन0ए0 खाते में अन्तरित किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक- F.No- 1(13)/PFMS/FCD/2020 दिनांक 15 जून, 2022 द्वारा केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च, 2022 तक निर्गत केन्द्रांश एवं संगत राज्यांश की सम्पूर्ण अप्रयुक्त धनराशि को सिंगल नोडल एजेन्सी (एस0एन0ए0) खाते में हस्तान्तरित कर, प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

3- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-17, में कुल रू0 8646.58 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। वर्तमान में प्राविधानित धनराशि रू0 8646.58 लाख में से रू0 2107.24210 लाख की वित्तीय स्वीकृतियां वित्तीय वर्ष 2022-23 में निर्गत कराई जा चुकी हैं तथा रू0 6539.3379 लाख का बजट शेष है।

http://shasnadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- अत: इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत पुरूष वर्ग हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 17, लेखा शीर्षक-2405-मछली पालन के अन्तर्गत 101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0103-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- (के0 24 रा0-16 पुरूष लाभार्थी-60, के0), 20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैरवेतन) में प्रावधानित धनराशि रू0 8646.58 लाख के सापेक्ष कुल केन्द्रांश वित्तीय वर्ष 2020-21, वित्तीय वर्ष 2021-22 तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के सापेक्ष केन्द्रांश (रू0 24.57 लाख + रू0 451.85 लाख + रू0 788.3041 लाख)= रू0 1264.7241 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए, उक्त धनराशि को एकमुश्त आहरित कर बैंक आफ बडौदा में बचत बैंक खाता संख्या- 98160100007290 (आई0एफ0एस0सी0 कोड- BARB0EXTLUC) के अन्तर्गत संचालित एस0एन0ए0 (सिंगल नोडल एजेन्सी) खाते में अन्तरित किये जाने की अनुमति श्री राज्यपाल अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य-योजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उपलब्ध धनराशि की सीमान्तर्गत किया जायेगा।

(2) भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करेगें तथा अवमुक्त धनराशि की सीमान्तर्गत उन्ही परियोजनाओं में व्यय करना सुनिश्चित करेंगे, जो भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।

(3) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही वर्षों और उन्ही स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष किया जायेगा, जिस वर्ष व परियोजना के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त व स्वीकृत की गयी थी।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय / उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) ऑकडो की शुद्वता का दायित्व निदेशक मत्स्य/ सम्बन्धित अधिकारी का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(8) भारत सरकार के पत्रांक जे -018001/ 1/ 2017-एफवाई, दिनांक 23.04.2021 के प्रस्तर-3 (II) के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु पी0एफ0एम0एस0/ डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग करने, धनराशि का व्यय करने व उपभोग प्रमाण पत्र भारत सरकार को
प्रेषित कराये जाने के दिये गये निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

(9) धनराशि का आवंटन/ एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(10) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डडर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(11)स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/ व्यय वित्त( आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

5- इस सम्बंध में होने वाला व्यय रू0 1264.7241 लाख (रू0 बारह करोड चौसठ लाख बहत्तर हजार चार सौ दस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-17 शीर्षक-2405-मछली पालन के अन्तर्गत 101- अन्तर्देशीय मछली पालन, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, 0103-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी0एम0एम0एस0वाई0)- 20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैरवेतन) के नामें डाला जायेगा।

**6- यह आदेश वित्त विभाग वित्त विभाग के कम्प्यूटर/ अशासकीय संख्या- E-1-528-X-2022-23- दिनांक:19-3-2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।**

भवदीय

(राजवीर सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

**संख्या- 13 /2023 / 295 (1) /सत्रह-म-2023 तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।
4. संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक मत्स्य(नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6. सम्बधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 / नियोजन अनुभाग-3।
8. गार्ड फाइल।

http:// shasnadesh up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन
मत्स्य उत्पादन अनुभाग
संख्या- 16 /2023/355/ सत्रह-म-2023-17-1099/63/2022
लखनऊ: दिनांक: 23 मार्च 2023

**शुद्धि- पत्र /कार्यालय-ज्ञाप**

शासनादेश संख्या- 09/2023/298/सत्रह-म-2023-17-1002(099)/3/2021 पार्ट-1 दिनांक 21 मार्च 2023 के प्रस्तर- 5. में "रू0. 998.481 लाख" के स्थान पर टंकक त्रुटिवश धनराशि "रू0 2170.5469" अंकित हो गयी है। अतः उक्त शासनादेश में आंशिक संशोधन किया जाता है |उक्त शासनादेश दिनांक 21.03.2023 के प्रस्तर-5 में अंकित धनराशि **"रू0 2170.5469 (रूपये इक्कीस करोड सत्त्तर लाख चौवन हजार छः सौ नब्बे मात्र)"** के स्थान पर **"रू0 998.481 लाख ( रू0 नौ करोड अटठानबे लाख अडतालीस हजार एक सौ मात्र)"** पढा जाय।

उक्त शासनादेश संख्या- 09/2023/298/सत्रह-म-2023-17-1002(099)/3/2021 पार्ट-1 दिनांक 21 मार्च 2023 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय |शासनादेश दिनांक 21.03.2023 की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी ।

Signed by राजवीर सिंह
Date: 23-03-2023 13:20:55
Reason: Approved

(राजवीर सिंह)
अनु सचिव

**संख्या-16/2023/355 (1) /सत्रह-म-2023 तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।
4. संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक मत्स्य(नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6. सम्बधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 / नियोजन अनुभाग-3।
8. गार्ड फाइल।

उत्तर प्रदेश शासन
मत्स्य उत्पादन अनुभाग
संख्या- 15 /2023/354/ सत्रह-म-2023-17-1002 (099) /4/2021 पार्ट-1
लखनऊ: दिनांक 23 मार्च 2023

**शुद्वि- पत्र /कार्यालय-ज्ञाप**

शासनादेश संख्या- 08/2023/294/सत्रह-म-2023-17-1002(099)/4/2021 पार्ट-1 दिनांक 21 मार्च 2023 के प्रस्तर- 5 में "रू0 182.48 लाख" के स्थान पर टंकक त्रुटिवश धनराशि "रू0 471.0627 लाख" अंकित हो गयी है। अतः उक्त शासनादेश में आंशिक संशोधन किया जाता है | उक्त शासनादेश दिनांक-21.03.2023 के प्रस्तर-5 में अंकित धनराशि **"रू0 471.0627 लाख (रू0 चार करोड इकहत्तर लाख छः हजार दो सौ सत्तर मात्र)"** के स्थान पर **"रू0 182.48 लाख (रू0 एक करोड बयासी लाख अडतालीस हजार मात्र)"** पढा जाय।

शासनादेश संख्या- 08/2023/294/सत्रह-म-2023-17-1002(099)/4/2021 पार्ट-1 दिनांक 21.03.2023 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय | उक्त शासनादेश दिनांक-21.03.2023 की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

Signed by राजवीर सिंह
Date: 23-03-2023 12:46:13
Reason: Approved
(राजवीर सिंह)
अनु सचिव

संख्या- 15 /2023/354/ (1) /सत्रह-म-2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।
4. संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक मत्स्य(नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6. सम्बधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 / नियोजन अनुभाग-3।
8. गार्ड फाइल।